कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/स्थानान्तरण/राजनीति विज्ञान/2018 दिनांक 30.05.2018 द्वारा श्रीमती हेमलता वर्मा, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवास, निवाई जिला टोंक का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनौतिया बुजुर्ग, निवाई जिला टोंक किया गया था जिसके विरूद्व श्रीमती हेमलता वर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3942/2018 हेमलता वर्मा बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2018 द्वारा अपीलार्थिया को अपनी विशेष पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर दिनांक 11.11.2018 तक एक अभ्यावेदन पेश करने और पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned speaking order) प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं की विकट परिस्थिति एवं माननीय अधिकरण के आदेश को ध्यान में रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि पलेई, निवाई जिला टोंक अथवा राउमावि बीडोली, निवाई जिला टोंक में व्याख्याता, राजनीति विज्ञान के रिक्त पद पर किये जाने सम्बन्धी परिवेदना की गई।

अपीलार्थिया श्रीमती हेमलता वर्मा के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थिया राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर का पद धारित है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाएं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष (जोब चार्ट के अनुसार) राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी अनुरूप अपीलार्थिया की मांग औचित्यपूर्ण नहीं होने के कारण अपीलार्थिया हेमलता वर्मा, व्याख्याता का अभ्यावेदन एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/सी–6/राजनीति विज्ञान/अपील/हेमलता/3942/2018 दिनांक 18/12/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/नियुक्ति/रावि/रिशफल/आरपीएससी 2015/2018 दिनांक 28.08.2018 द्वारा क्रम संख्या 32 मेरिट नं0 1215 पर अंकित श्री सुभाष चन्द डारा पुत्र श्री भगवान सिंह ग्राम गारिडा, फतेहपुर, सीकर को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर नियुक्ति प्रदान कर राउमावि सवाउ पदमसिंह, बाड़मेर पदस्थापित किया गया था। जहां इनके द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया है।

इनके द्वारा बीकानेर जिले में पदस्थापित किये जाने हेतु एस.बी.सि. याचिका संख्या 18599/18 दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश दिये है।

याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना पदस्थापन बीकानेर जिले में करने हेतु निवेदन किया है।

अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। प्रार्थी के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए इनका अभ्यावेदन निस्तारण कर इनका पदस्थापन राउमावि सवाउ पदमसिंह, बाड़मेर के स्थान पर शहीद कैप्टेन चंद्र चौधरी राउमावि बिग्गाबास रामसरा, श्रीडुगंरगढ़, बीकानेर किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी–6/एसबीसि.या.सं./18599/2018 दिनांक: 18/12/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
3. अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि राउमावि सवाउ पदमसिंह, बाड़मेर/शहीद कैप्टेन चंद्र चौधरी राउमावि बिग्गाबास रामसरा, श्रीडुगंरगढ़, बीकानेर
5. श्री सुभाष चन्द डारा पुत्र श्री भगवान सिंह ग्राम गारिडा, फतेहपुर, सीकर
6. अनुभाग अधिकारी (विधि) कार्यालय हाजा को मय याचिका निर्णय की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर